स.का.नि. ...... (अ), केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) तथा धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), धारा 6 की उप धारा (1), तथा धारा 20 के खंड (iii), एवं खंड (iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है; भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2017 एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड II, भाग 3, उप भाग (1) में स.का.नि. संख्या 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित हुआ है, में निम्न संशोधन करती है:-

उकत अधिसूचना में,
(i) तालिका में, (क)क्रम संख्या 3 के समक्ष,-

| क्रम (5) | भाग (vi) में, कॉलम (3) में,"सरकार, स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर"केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; |
| क्रम (5) | भाग (vi) में, कॉलम (3) में "किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
| क्रम (5) | भाग (vi) में, कॉलम (5) में, मौजूदा प्रविधि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविधि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् "बशर्त कि जहाँ उपदेशों की किसी सरकारी निकाय में आपूर्ति की जाती है, उन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मान्यता हो, दूरारा इसे सौंपे गए कार्यों के संबंध में सरकारी निकाय दूरारा खरीदा जाना चाहिए था"; |
| क्रम (5) | भाग (vii) के लिए कॉलम (3),(4) और (5)और इससे संबंधित प्रविधियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् - |

| (3) | (4) | (5) |
| "(vii)केंद्रीय मालऔर सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (119) में परिभाषित कार्य संवीदा की | 5 | बशर्त कि जहाँ किसी सरकारी इकाई को सेवाएं दी जाती है, \text{उन्हें} |
समग्र आपूनतथकें द्र सरकार，राज्य सरकार，संघ राज्य क्षेत्र，स्थानीय प्राधिकरण，एक सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी इकाई को प्रदान की गई है，जिसमें मुख्य रूप से धरती कायथ (जो कि कार्य संविधान के मूल्य का 75% से अधिक गठन का होता है) शामिल है।

(viii) यथोचित बेस लाइन के किसी निकटस्थ बिंदु से 12 समुद्री मील से दूर के क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) से संबंधित अपत्तनी काम संविधा के संबंध में केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम，2017 की धारा 2 के खण्ड (119) में और संबंध सेवाओं में परिभाषित कार्यसंविधा की समग्र आपूनतथाएं।

(ix) उपरोक्त (i)，(ii)，(iii)，(iv)，(v)，(vi)，(vii) और (viii) के अलावा अन्य निर्माण सेवाएं।

<table>
<thead>
<tr>
<th>भाषा</th>
<th>वर्ग</th>
<th>वर्ग</th>
<th>वर्ग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>केंद्र सरकार，राज्य सरकार，संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण，</td>
<td>कृपया स्पष्ट तथाकथाए।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जैसा कि मामला हो，दूरा सौंपे गए कार्य के संबंध में सरकारी इकाई दूरा प्राप्ति की जानी चाहिए।</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>-&quot;;</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(ख) क्रम संख्या 8 के समक्ष，मद (ii) के लिए कॉलम (5) में "या" शब्द के लिए "और" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 8 के समक्ष，मद (vi) के लिए कॉलम (3) में और कॉलम (3)，(4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा，अर्थातः:

<table>
<thead>
<tr>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;(vi) यात्री को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए किसी भी मोटर वाहन द्वारा यात्रियों का परिवहन जहां इंधन की लागत कोसिा का प्राप्तिकर्ता से लिया जाता है।&quot;</td>
<td>5</td>
<td>बशर्ते कि व्यवसाय（अर्थातः किसी मोटर वाहन में यात्रियों को ले जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा） की समान सीक्ष में इनपुट सेवा के इनपुट टैंक्स क्रेडिट के अलावा，सेवा की आपूर्ति में，प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभावित इनपुट टैंक्स क्रेडिट न ही लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण सं0.(iv) देखें]</td>
</tr>
<tr>
<td>(v)</td>
<td>-&quot;;</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(घ) क्रम संख्या 9 के समक्ष，कॉलम (3) में मद (v) और कॉलम (3)，(4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा，अर्थातः:

<table>
<thead>
<tr>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;(vi) यात्री को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए किसी भी मोटर वाहन द्वारा यात्रियों का परिवहन जहां इंधन की लागत कोसिा का प्राप्तिकर्ता से लिया जाता है।&quot;</td>
<td>5</td>
<td>बशर्ते कि व्यवसाय（अर्थातः किसी मोटर वाहन में यात्रियों को ले जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा） की समान सीक्ष में इनपुट सेवा के इनपुट टैंक्स क्रेडिट के अलावा，सेवा की आपूर्ति में，प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभावित इनपुट टैंक्स क्रेडिट न ही लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण सं0.(iv) देखें]</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>-&quot;;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(v) पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस का परिहारण</td>
<td>बशर्ते किसी विषय की आपूर्ति में प्रयोग की गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण सं0.(iv) देखें]</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>(vi)उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) के अलावा माल परिहारण सेवाएं</td>
<td>[कृपया स्पष्टीकरण सं0.(iv) देखें]</td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(इ) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससेसंबंधित प्रविक्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः -

| (3) | (4) | (5) |
| (i) यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए किसी भी मोटर वाहन को किराए पर लेना जहां ईंधन की कीमत से प्राप्ततकता से जाने हेतु विचार में शामिल किया गया है। | बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयोग किए गए माल और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट, त्यापार की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त (अर्थात किसी मोटर वाहन में यात्रियों को ले जाने या किसी मोटर वाहन को किराए पर दिए जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा) नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण सं0.(iv) देखें] | 5 |
| या | | 12 |

(च) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससेसंबंधित प्रविक्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः -

| (3) | (4) | (5) |
| "(v) 1 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और पैदा पर दिए गए वाहनों की पट्टे को"; माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़े ऐसे मालकी आपूर्ति पर लागू एकीकृत कर की माल दर का 65 प्रति शत । नोट:- इस प्रविक्टि में लिहित कुछ भी 1 जुलाई, 2020 या उसके बाद लागू नहीं होगा। | 18 |

| (vii)उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv),(v) के अलावा वित्तीय और संबंधित | -"; | 18 |
(छ) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (vi) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः -

<table>
<thead>
<tr>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>“(vi) 1 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और पड़े पर दिए गए वाहनों की पहेड़दारी; माल मेंधिकार(टाइटल)के हस्तांतरण से जुड़े ऐसे मालकी आपूर्ति पर लागू एकीकृत कर की दर का 65 प्रति शत। नोट:- इस प्रविष्टि में लिखित कुछ भी 1 जुलाई, 2020 या उसके बाद लागू नहीं होगा।</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(ज) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में,

(i) मद (i) में, उप-मद (ग) हेतु, निम्नलिखित उप-मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः -

“(ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 71 के तहत आने वाले सभी उत्पाद।”;

(ii) मद (i) में, उप-मद (घ) के पश्चात, निम्नलिखित उप-मद को समाविष्ट किया जाएगा:-

“(घ) अध्याय 48 या 49 के तहत आने वाले सभी सामानों की छपाई, जिस पर5 प्रति शत या शून्य की दर से आइजीएसिी लगती है।”;

(iii) मद(i) में, उप-मद (ड.) के पश्चात, निम्नलिखित उप-मदों को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थातः -

“(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 1 से 22 के तहत आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद;

(छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 23 के तहत आने वाले उत्पाद, सिवाए उक्त अध्याय की टैरिफ मद 23091000 के तहत आने वाली खुदरा बिक्री हेतु रखे जाने वाला कुलते और बिल्ली का भोजन के;

(ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में टैरिफ मद 69010010 के तहत आने वाली मिट्टी ईंटों का निर्माण।”;
(iv) कॉलम (3) में मद (i) के पश्चात और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविक्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थातः-

<table>
<thead>
<tr>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
</tr>
</thead>
</table>
| "(क) निम्नलिखित के संबंध में मौकी के काम के माध्यम से सेवाएं- (क) छात्र का निर्माण; (ख) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिस पर 12 प्रति शत की दर से आइजीएसी लगाती है।" | 12 | "";

(v) मद (ii) में उप-मद (ख) के पश्चात, निम्नलिखित उप-मद को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थातः-

<table>
<thead>
<tr>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;(ग) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिस पर 5 या शून्य प्रति शत की दर से आइजीएसी लगती है।&quot;;</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(vi) कॉलम (3) में मद (ii) के पश्चात और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविक्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थातः-

<table>
<thead>
<tr>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
</tr>
</thead>
</table>
| "(ग) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित वस्तुओं पर किसी भी संच्यवहार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएं।" | 12 | "";

(vii) मद (iii) में, कोष्ठकों अंकांक और शब्द "और (ii)" के लिए कोष्ठक, आंकड़े और शब्द "; (क), (ii) और (i)" कोप्रतिस्थापित किया जाएगा;

(झ) क्रम संख्या 27 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविक्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थातः-

<table>
<thead>
<tr>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
</tr>
</thead>
</table>
| "(ि) अध्याय 48 या 49 के तहत आने वाले सभी सामानों के मुद्रण के माध्यम से सेवाएं[सामाराचर पत्र, किताबें (ब्रेक पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं(जर्नल्स) और पत्रिकाओं(पीरियोडिकल्स) सहित], जिन पर 12 प्रति शत या 5 प्रति शत या शून्य की दर से आइजीएसी लगती है, जहां केवल प्रकाशक द्वारा सामग्री की आपूर्ति की जाती है और मुद्रण हेतु प्रयोग किए गए कागज सहित भौतिक इनपुट प्रिंटर से संबंधित है।" | 12 | "";
(ii) पैराग्राफ 2 में, "मद (i) पर" शब्दों और अंकों हेतु, "मद (i) पर, मद (iv) [उप-मद (ख), उप-मद (ग), उप-मद (घ)], मद (v) [उप-मद (ख), उप-मद (ग), उप-मद (घ)], मद (vi) [उप-मद (ग)]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) पैराग्राफ 5 में, खण्ड (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ix) "सरकारी प्राधिकरण" से अभिप्रय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय से हैं जिसका गठन,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या
(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अंतर्गत किसी पंचायत को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।

(x) "सरकारी निकाय" से अभिप्रय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय (जिसमें सोसाइटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं) से हैं जिसका गठन,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या
(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।"

[फा. सं0.354/173/2017 -टीआर]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: - मूल अधिसूचना, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या 08/2017, एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 को सारका.निःसंख्रया 683 (अ.), दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित हुई थी एवं पिछली बार उस में संशोधन अधिसूचना संख्या 24/2017 एकीकृत कर (दर) दिनांक 21 सितंबर, 2017 को सारका.निःसंख्रया 1182 (अ.) दिनांक 21 सितंबर, 2017 के अनुसार हुआ था।